भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2628

11 अगस्त, 2023 के लिए प्रश्न

पीडीएस के तहत फोर्टिफाइड राइस का वितरण

2628. श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वितरण किए जा रहे फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (एफआरके) के कड़े विरोध से अवगत है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की पीडीएस के माध्यम से एफआरके के वितरण को समाप्त करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) एफआरके के लिए आवंटित, संवितरित और उपयोग की गई निधि की राशि कितनी है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से आपूर्ति किए गए फोर्टिफाइड चावल के वितरण और उपयोग को समझने के लिए मई 2023 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आईसीएमआर-एनआईएन) द्वारा किए गए रचनात्मक अध्ययन में यह पाया गया कि छह राज्यों के अध्ययन स्थलों पर फोर्टिफाइड चावल के प्रति कोई प्रतिरोध रिपोर्ट नहीं की गई थी।

मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार के हस्तक्षेप पर, राज्य सरकारों ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और चिकित्सा पेशेवरों, मीडिया सदस्यों, प्रमुख हस्तियों, स्थानीय नेताओं आदि सहित फील्ड विशेषज्ञों जैसे अन्य हितधारकों के सहयोग से देश के आदिवासी क्षेत्रों में फोर्टिफाइड चावल के लाभों और पौषणिक सुरक्षा पर इसके सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाया है।

(ख): विभिन्न हितधारकों जैसे नीति आयोग, भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), संबंधित मंत्रालयों (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय) एवं राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य संगत संगठनों के साथ चावल फोर्टिफिकेशन पहल की अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान अंतर-मंत्रालयी परामर्श बैठकें आयोजित की गई थीं।

.....2/-

भारत और विदेशों में उपलब्ध अध्ययनों के आधार पर; और भारत में अनिवार्य चावल फोर्टिफिकेशन हेतु एफएसएसएआई की सिफारिशों पर भी, भारत सरकार ने दिनांक 30 जून 2024 तक खाद्य सब्सिडी के भाग के रूप में इसे केंद्रीय क्षेत्र (100% केंद्रीय वित्त पोषण) की पहल के रूप में मानते हुए चरणबद्ध तरीके से देश में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति बढ़ाने का काम शुरू किया है। इसके अलावा, नीति आयोग के संपूर्ण मार्गदर्शन और निगरानी के अंतर्गत अन्य नामित हितधारकों के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार जैसे सभी संबंधित हितधारकों को शामिल करके समवर्ती आधार पर चावल फोर्टिफिकेशन पहल के मूल्यांकन अध्ययन का प्रावधान है।

(ग): खाद्य सब्सिडी बिल का भाग होने के लिए चावल फोर्टिफिकेशन पहल के पूर्ण कार्यान्वयन की वार्षिक योजनाबद्ध लागत 2679.47 करोड़ रुपये परिकल्पित की गई थी।

निधि का संवितरण एक सतत प्रक्रिया है, जबकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भुगतान हेतु भेजे गए बिलों का निपटान मानदंडों के अनुसार किया जाता है। चूंकि चावल फोर्टिफिकेशन और अन्य संबंधित लागत अब खाद्य सब्सिडी का भाग है, इसलिए फोर्टिफाइड चावल हेतु कोई धनराशि अलग से आवंटित/संवितरित नहीं की जाती है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2022-23 और 2023-24 (दिनांक 31.07.2023 तक) के दौरान विकेंद्रीकृत खरीद (डीसीपी) राज्यों को भुगतान के लिए सरकार द्वारा जारी खाद्य सब्सिडी **अनुबंध** में दर्शाई गई है।

******

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 11.08.2023 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2628 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(राशि करोड़ में)

क्र. सं.	**राज्य का नाम**	**2022-23**	**2023-24 (दिनांक 31.07.23 की स्थिति के अनुसार)**
1	आंध्र प्रदेश	6635.97	2121.34
2	बिहार	10966.10	697.80
3	छत्तीसगढ	7574.81	62.04
4	गुजरात	311.54	-
5	कर्नाटक	2191.75	-
6	केरल	1544.89	-
7	मध्य प्रदेश	9471.50	5147.32
8	महाराष्ट्र	2725.75	1004.60
9	ओडिशा	7600.05	6205.02
10	पंजाब	1202.49	304.98
11	तमिलनाडु	8685.95	-
12	तेलंगाना	5242.76	2311.68
13	उत्तराखंड	1212.25	-
14	पश्चिम बंगाल	6580.11	-
15	झारखंड	-	-
16	त्रिपुरा	148.67	59.78
17	डीबीटी*	187.90	104.85
	कुल	72282.50	18019.41

* डीबीटी स्कीम के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2015-16 से चंडीगढ़, पुदुच्चेरी एवं दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों को सब्सिडी जारी की जाती है।